रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद,

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्या भारती पब्लिक स्कूल,
इमली गाँव नेवादा,
कौशाम्बी,

पत्रांकः मा0 शि0 प0 / मान्यता / 1046 दिनांक-30-7 20 14

विषयः सीधे ~~(कक्षा 9 व 10)~~ / (कक्षा-6 से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था विद्या भारती पब्लिक स्कूल,इमली गाँव नेवादा, कौशाम्बी को बालक / ~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2016 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7 कक के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता- पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं सचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(कृ0प0उ0)

Manager
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

Principal
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणीः– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकनः सं0मा0शि0प0 /मान्यता/ दिनांक– 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, कौशाम्बी।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल।
3. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

Manager
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

Principal
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कौशाम्बी ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्या भारती पब्लिक स्कूल प्राइमरी विद्यालय,
इमलीगॉव, नेवादा–कौशाम्बी।

पत्रांक: /मान्यता/ 11956-61 /2015–16 दिनांक 19-5-2015

विषय:–नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31–08–2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै **विद्या भारती पब्लिक स्कूल प्राइमरी विद्यालय, इमलीगॉव, नेवादा–कौशाम्बी** को तारीख 01 जुलाई 2015 से तारीख 30 जून 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा–प्री –प्राइमरी से कक्षा–05 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–05 के पश्चात मान्यता/सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2–विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिमय, 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, अन्य कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा –विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता [illegible] या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6–विद्यालय [illegible]सी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा [illegible] वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चि[illegible] करेगा:

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा;

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जाएगा;

Manager
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

Principal
Vidya Bharti Public School
[illegible]shambi

(3) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी;

(4) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगें;

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है;

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेंगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–.........(किराये पर)..........
कुल निर्मित क्षेत्र–.................(––)..........
कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–.........(––)..........
कक्षाओं की संख्या–....................(07)..........
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भांडारगार के लिए कक्ष–....(है)..........
बालक और बालिकाओं के लिएं पृथक शौंचालय–............. (है)..........
पेयजल सुविधा–..........(है)..........
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई–..................(है)..........
बाधारहित पहुँच–..................................(है)..........
अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता–...(है)...

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जाएँगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

Manager
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

Principal
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..........(15).................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।

16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी ।

पृ0सं0: / मान्यता / /2015—16 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1—शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
2—अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
3—सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
4—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
5—सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद—कौशाम्बी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।

Manager
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi

Principal
Vidya Bharti Public School
Imligaon, Kaushambi